राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन , जयपुर

क्रमांकःप.2(आ.एण्ड.एम) / 22–एच / आ.कृ. / 2149-2324 दिनांकः 19-07-2018

समस्त जिला कलेक्टर

विषयः–कृषि विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों को कृषि कार्यक्रमों अभियानों के अतिरिक्त जिला स्तरीय अभियानों / कार्यक्रमों से मुक्त रखने बाबत।

प्रसंगः–कृषि आयुक्तालय के पत्रांक प.2(ओ.एण्ड.एम) / 209 / आ.कृ / 2011 / 9198–1350 दिनांक 25.05.2011 एवं प.2(ओ. एण्ड. एम) / 22–एच / आ. कृ. / 2674–2815 दिनांक 06.09.2012 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान कृषि आयुक्तालय के प्रासंगिक पत्र की ओर आकर्षित करना चाहूँगी जिसके द्वारा जिला / उप जिला स्तर पर समय–समय पर चलाये जाने वाले गैर कृषि कार्यक्रमों / अभियानों में कृषि विभाग के कार्मिकों को मुक्त रखे जाने हेतु लिखा गया था । किन्तु जिला एवं अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना प्राप्त हो रही है कि आप द्वारा कृषि विभाग के कार्मिकों की ड्यूटी गैर कृषि कार्यक्रमों / गतिविधियों में लगाने से विभागीय गतिविधियों / कार्यक्रमों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

आपको ज्ञात होगा कि कृषि विभाग की काफी सारी योजनाएं जिला / उप जिला स्तर पर चलाई जाती है जिसका सीधा प्रभाव किसानों एवं कृषि उत्पाद आदि पर पड़ता है जहाँ अधिकारियों के नेतृत्व बगैर व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। अतः जिला / उप जिला स्तर पर चलाये जाने वाले गैर कृषि कार्यक्रमों से कृषि विभाग के कार्मिकों को मुक्त रखें ताकि विभागीय कार्यक्रम / गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं लक्ष्यों की प्राप्ति समय पर एवं पूर्ण रूप से की जा सकें।

(नीलकमल दरबारी)
अति0मुख्य सचिव
कृषि एवं उद्यानिकी विभाग

क्रमांकःप.2(आ.एण्ड.एम) / 22–एच / आ.कृ. / 2149 - 2324 दिनांकः 19-07-2018

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. उप शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ....
3. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर।
4. समस्त उप निदेशक, कृषि(विस्तार), जिला परिषद ....
5. समस्त सहायक निदेशक, कृषि(विस्तार), उप जिला.................
6. आरक्षी / पंजिका

आयुक्त कृषि